

न्यायालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र भट्ट (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : १००/2019 प्रार्थना पत्र

उनवान

प्राधिकृत अधिकारी – मेन्टोर होम
इण्डिया लिमिटेड, मेन्टोर हाउस,
गोविन्दम मार्ग, सेठी कॉलोनी,
जयपुर- 302004

बनाम

श्री दिनेश चन्द जैन पुत्र श्री बाबू लाल जैन,
श्रीमती मुन्नी देवी पत्नि श्री दिनेश चन्द जैन
, श्री प्रेम चन्द जैन पुत्र श्री तारा चन्द जैन,
श्रीमती नीतु जैन पत्नि श्री प्रेम चन्द जैन एवं
श्रीमती प्रीतू जैन पत्नि श्री सुनील जैन प्लाट
न. 4-एफ-39, न्यू हाउससिंग बोर्ड,
शास्त्रीनगर, भीलवाड़ा।

— प्रार्थी

—अप्रार्थी

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और
पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002**

प्राधिकृत अधिकारी- श्री सतीश गौतम,

निर्णय

दिनांक : 14/11/2019

प्राधिकृत अधिकारी, श्री सतीश गौतम, मेन्टोर होम इण्डिया लिमिटेड, मेन्टोर हाउस,
गोविन्दम मार्ग, सेठी कॉलोनी, जयपुर की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय
आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रस्तुत
किया। जिसमें उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी को ऋण सुविधा प्रदान
की थी। जिसमें अप्रार्थी को 8,00,000/- रुपये का ऋण दिनांक 27.06.2015 को स्वीकृत किया
गया। उक्त ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर भूमि व भवन जो अचल सम्पत्ति -भूमि एवं भवन
जो प्लाट नं. 4-एफ-39, न्यू हाउससिंग बोर्ड, शास्त्रीनगर, भीलवाड़ा में स्थित है जिसका कुल
क्षेत्रफल 59.07 वर्ग मीटर है, जो अप्रार्थी के स्वामित्व की है को रहन रखा गया। दिनांक 29.05.
2019 तक कुल बकाया ऋण की राशि 13,49,490/- रुपये है। अप्रार्थी के द्वारा तयशुदा शर्तों
के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया गया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत
पंजीकृत नोटिस भेजा गया परन्तु अप्रार्थी ने ऋण राशि की अदायगी नहीं की। प्रार्थी ने ऋणी के
खाते को 30.05.2019 को नो परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है जिससे प्रार्थी के पक्ष में रहन
रखी गई साम्यिक बन्धक सम्पत्ति का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी को है।

प्रार्थी अधिकृत अधिकारी उपस्थित होकर जाहिर किया कि नियमों के अनुसार समस्त
कार्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं है। प्राधिकृत
अधिकारी के कथन पर विश्वास कर उनके द्वारा दिये गये शपथ-पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र
स्वीकार किया जाता है तथा रहनशुदा सम्पत्ति को प्रार्थी को सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तों पर
दिए जाते हैं:-

1.रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा लेकर संभलवाते वक्त यदि नियमान्तर्गत आक्षेप प्राप्त
होता है तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करवावें।



2

आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ-पत्र पर दिये जा रहे हैं यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

निर्णय की प्रति तहसीलदार भीलवाड़ा को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति को दी सिक्वोरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 31 के प्रावधानों की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्भलवाया जावे। आदेश की पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहन रखी सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14/11/2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



21/11/19
(राजेन्द्र भट्ट)
जिला कलेक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा (राज.)